



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265119
CG-DL-E-30072025-265119

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3434]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947

No. 3434]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

वस्त्र मंत्रालय

[पीएसयू (सीओपी) अनुभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2025

का.आ. 3517(अ).— रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का 57) की धारा 17 की उपधारा (1), ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (शेररों का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981 (1981 का 29) की धारा 6 की उपधारा (1), स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1986 (1986 का 30) की धारा 15 की उपधारा (1) और वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 (1995 का 39) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार श्री अजय गुप्ता, संयुक्त सचिव, को भुगतान आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है और उस स्थानीय सीमा को परिभाषित करती है जिसके अंतर्गत उक्त भुगतान आयुक्त संपूर्ण भारत में उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

[फा. सं. 13/1/2018-पीएसयू (सीओपी)]

शुभ्रा, व्यापार सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES**[PSU (CoP) Section]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2025

S.O. 3517(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Sick Textile Undertakings (Nationalization) Act, 1974 (57 of 1974), Sub-Section (1) of Section 6 of the British India Corporation Ltd (Acquisition of Shares) Act, 1981 (29 of 1981), Sub-Section (1) of Section 15 of the Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986 (30 of 1986) and Sub-Section (1) of Section 17 of the Textile Undertakings (Nationalization) Act, 1995 (39 of 1995), the Central Government appoint Shri Ajay Gupta, Joint Secretary as Commissioner of Payments and defines the local limits within which the said Commissioner of Payments shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on him, as the whole of India.

[F. No. 13/1/2018-PSU (CoP)]

SHUBHRA, Trade Advisor